31/3/21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादीगण के पिता के नाम राजस्व ग्राम पाटन तह. नीमकाथाना में खातेदारी भूमियां हैं एवं वादीगण के पिता का सही नाम पन्नाराम पुत्र भूराराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से वादीगण के पिता

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का नाम मन्ना पुत्र भूरानाथ दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त कर विवादित आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम किया जाना उचित है। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में अपने पिता का मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत पाटन का वारिसान प्रमाण पत्र, वादीगण के स्वंय के राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राजस्व ग्राम पाटन के भूमि खाता संख्या 244 व 245 की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनमें वादीगण के पिता का नाम पन्नाराम पुत्र भूराराम है, एवं बतौर साक्ष्य वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रहलाद पुत्र सुवानाथ के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों से भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रहलाद पुत्र सुवानाथ के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम मन्ना पुत्र भूरा नाथ अंकित है। वादीगण का कथन कि वादीगण के पिता का सही नाम पन्नाराम पुत्र भूराराम है तथा विवादित आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावें की पुष्टि वादीगण के पिता के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत पाटन का वारिसान प्रमाण पत्र, वादीगण के स्वंय के राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राजस्व ग्राम पाटन के भूमि खाता संख्या 244 व 245 की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की प्रतियो से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य वादीगण संख्या 1 व 2 एवं प्रहलाद पुत्र सुवानाथ के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 176 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम **मन्ना पुत्र भूरा नाथ** का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **वादीगण संख्या 1 लगायत 4** हिस्सा बराबर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
(सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Breesh Kumar
Date: 2021.04.01 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner